

I
पटना, दिनांक 05.08.26

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

क्र.सं.	घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	सामान्य	900.00	600.00	1500.00

6. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ) योजना के अंतर्गत SVEP के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त Mother Sanction के आलोक में उपबंधित बजट के विरुद्ध राशि विपत्र कोडवार एवं उप शीर्षवार केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष	केन्द्रांश मद की राशि (60%)	राज्यांश मद की राशि (40%)	कुल विमुक्ति एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5=(3+4)
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0205 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम(एसवीईपी) (एनओआरओएलओएमओ) योजना विपत्र कोड 42- 2501061010205 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद)	900.00	600.00	1500.00
	कुल-	900.00	600.00	1500.00

7. Mother Sanction के आलोक में स्वीकृत राशि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा राज्य (मुख्यालय) एवं जिलावार विवरणी उपलब्ध कराये जाने की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में कुल स्वीकृत राशि ₹0 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) की राज्य (मुख्यालय) एवं जिलावार विवरणी अलग से उपलब्ध करायी जायेगी ।

8. वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा ।

9. अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि को CFMS के माध्यम से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना के स्तर से कंडिका-7 के आलोक में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर Implementing Agency को Mother Sanction उपलब्ध करायी जायेगी ।

10. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा । SNA-SPARSH Module से राशि के निकासी के आलोक में विहित प्रावधान के तहत व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा ।

11. वित्त मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-F.N.1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023, 07.08.2023, 20.11.2023, 16.01.2024 तथा दिनांक-20.06.2024 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में राशि का व्यय/हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-ग्रा०वि०/०६-बजट/०५-१०/२०२६ के पृष्ठ- ०५ /टि० पर दिनांक- २७/०७/२०२६ को प्राप्त है ।

13. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं०-ग्रा०वि०/०६-बजट/०५-१०/२०२६ के पृष्ठ- ०५ /टि० पर दिनांक- ०३/०८/२६ को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन


(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 6032567 पटना, दिनांक ०५.०८.२६

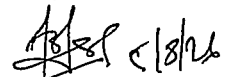
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 6032567 पटना, दिनांक ०५.०८.२६

प्रतिलिपि- डॉ० मोलेश्री, निदेशक (RL), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सातवाँ तल्ला, NDCC बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा/ आईटीएमनेजर को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

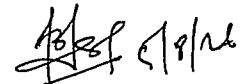

(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 6032567 पटना, दिनांक ०५.०८.२६

प्रतिलिपि-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-२, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

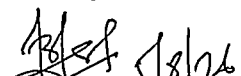
अनुरोध है कि कंडिका-७ के आलोक में राज्य (मुख्यालय) एवं जिलावार विवरणी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।


(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 6032567 पटना, दिनांक ०५.०८.२६

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-१०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव